उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 170/2019/2505/92-2-19-27जांच/2015

लखनऊ:: दिनांक:: 20 नवम्बर,2019

कार्यालय-ज्ञाप

डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में चयनित ग्राम गदौली कला विकास खण्ड-शमशाबाद, तहसील-फतेहाबाद, आगरा में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के कार्य में पायी गयी कमियों में प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1064/92-2-18-27जांच/15 दि0 27-04-2018 द्वारा श्री एम0पी0 सिंह, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रा0अ0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता(प0क्षे0), ग्रा0अ0वि0, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रसं0-191/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच-आगरा/19-20 दिनांक 27-05-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 04 आरोपों में से सभी आरोप आंशिक रूप से स्थापित पाये जाने पर शासन के पत्रसं0-1140/92-2-19-27जांच/15 दि0 22-06-2019 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र सं0-278/ग्रा0अ0वि0/पीआईयू/व्य0प0-आ0-प्रतिउ0/2019-20 दि0 17-07-2019 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

2- अत: अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, जॉच आख्या में स्थापित पाये गये आरोपो के संबंध में अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त प्रकरण में किसी भी प्रकार की शासकीय क्षति नही पाये जाने, निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री का निर्धारित समय पर किये गये सैम्पल चेक मानक के अनुरूप पाये जाने एवं अपचारी अधिकारी के दि0 30-06-2019 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जाने की स्थिति में अपचारी अधिकारी को किसी प्रकार का प्रशासनिक दण्ड दिये जाने का अवसर न रह जाने के दृष्टिगत श्री एम0पी0 सिंह, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1064/92-2-18-27जांच/15 दि0 27-04-2018 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-170/2019/2505/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री एम0पी0 सिंह, तत्का0 सहायक अभियंता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।